कार्यालय जिला पंचायत, बाराबंकी

पत्रांकः 479 / मानचित्र / जि0पं0 / 2026–27 दिनांकः 02 मई, 2026

Shades Infratech LLP
द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी,
श्री मोहम्मद अली
पुत्र मोहम्मद जहीर,
निवासी–158 / 131, जी0पी0 रोड,
रकाबगंज, अमीनाबाद पार्क,
जनपद लखनऊ ।

विषयः कार्यालय जिला पंचायत, बाराबंकी द्वारा निर्गत अनुज्ञा पत्र दिनांक 02–02–2026 में उल्लिखित उपबन्धों / प्रतिबंध संख्या–30 को हटाये जाने के सम्बन्ध में ।

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 01–05–2026 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा उ0प्र0 भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के पत्रांक–2886 / उ0प्र0 रेरा / तक0सेल0 / 2025–26, दिनांक 28–03–2026 का उल्लेख करते हुए कार्यालय जिला पंचायत, बाराबंकी से निर्गत अनुज्ञा पत्र दिनांक 02–02–2026 में उल्लिखित उपबन्धों / प्रतिबंध संख्या–30 को हटाने का अनुरोध किया गया है । इस हेतु आप द्वारा ज्वाइंट मजिस्ट्रेट / उपजिलाधिकारी, नवाबगंज, बाराबंकी द्वारा अग्रसारित आख्या दिनांक 30–04–2026 संलग्न कर प्रस्तुत की गयी है ।

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 20–11–2025 के साथ संलग्न मानचित्र में प्रदर्शित भूमि खसरा / गाटा संख्या–554अ, 557, 558मि, 563, 564 व 556 (Lat 26.902795°, Long 81.103309°) स्थित ग्राम केवाड़ी, परगना देवा, तहसील नवाबगंज, जनपद बाराबंकी में EVARA-SHADES (SHALIMAR EVARA) के नाम से अपार्टमेण्ट / ग्रुप हाउसिंग निर्माण हेतु कवर्ड एरिया 19547.31 वर्ग मीटर एवं बाउण्ड्रीवाल की लम्बाई 234.00 मीटर हेतु प्रस्तावित मानचित्र की स्वीकृति कार्यालय जिला पंचायत, बाराबंकी द्वारा प्रदान की गयी है ।

ज्वाइंट मजिस्ट्रेट / उपजिलाधिकारी, नवाबगंज, बाराबंकी द्वारा अग्रसारित आख्या दिनांक 30–04–2026 में इवारा हाईट्स ग्रुप हाऊसिंग के अन्तर्गत आने वाले ग्राम केवाड़ी की गाटा संख्या–556, 557, 558मि, 560, 561, 563 व 564 के अन्तर्गत ग्राम समाज की भूमि न होने के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में संस्तुति की गयी है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट / उपजिलाधिकारी, नवाबगंज, बाराबंकी द्वारा अग्रसारित आख्या दिनांक 30–04–2026 में उक्त प्रदर्शित क्षेत्रफल में बिन्दु संख्या–30 में वर्णित किसी भी प्रकार की सार्वजनिक भूमि / कोई भी ग्राम समाज की भूमि स्थित नहीं है । अतः अनुज्ञा पत्र के बिन्दु संख्या–30 को संशोधित / निरस्त समझा जाए ।

02/05/26

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, बाराबंकी